

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] No. 435] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2019/श्रावण 9, 1941

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2019/SHRAVANA 9, 1941

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2019

सा.का.नि. **536(अ).**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय उद्यम विकास सेवा नियम, 2019 है
 - (2) ये आधिकारिक राज़पत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
 - (ख) **"नियंत्रण प्राधिकारी"** से भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय अभिप्रेत है;
 - (ग) **"विभागीय अभ्यार्थी"** से इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी और छठी अनुसूची में दिए गए नियमों के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी से अभिप्रेत है;
 - (घ) **"विभागीय प्रोन्नति या पुष्टि समिति"** से तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए समिति से अभिप्रेत है:-

(1)

(ङ) **"डयूटी पद"** से पहली अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पद अभिप्रेत है:

3915 GI/2019

- (च) **"सरकार"** से केंद्र सरकार अभिप्रेत है
- (छ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है:
 - (i) जहां तक इंजीनियरों (विद्युत या यांत्रिकी या इलैक्ट्रॉनिक्स) के पदों का संबंध है इंजीनियरी सेवा समूह-'क' और समूह 'ख' में भर्ती के लिए आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी और:
 - (ii) जहां तक इंजीनियरों (रसायन अथवा धात्विकी अथवा चर्म और पादुका अथवा हौजरी अथवा खाध्य अथवा कांच और मृत्तिका अथवा धातु परिष्करण) के पदों का संबंध है, आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया से सीधी भर्ती की जाएगी;
- (ज) **"नियमित सेवा"** से किसी ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में की गई सेवा अवधि अथवा अवधियां अभिप्रेत है;
- (झ) "अनुसूची" से इन नियमों के उपबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ञ) "सेवा" से नियम 3 के तहत विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय के तकनीकी अधिकारियों के लिए गठित भारतीय उद्यम विकास सेवा अभिप्रेत है और इसमें इन नियमों से उपबद्ध प्रथम अनुसूची में उल्लिखित पद अथवा श्रेणी अथवा समय वेतनमान सम्मिलित हैं और जिसमें निम्नलिखित प्रवर्ग के अधिकारी हैं, अर्थात:
 - (i) यांत्रिकी इंजीनियर,
 - (ii) विद्युत इंजीनियर,
 - (iii) इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर,
 - (iv) रसायन इंजीनियर,
 - (v) धातुकर्म इंजीनियर,
 - (vi) चर्म और पादुका प्रौद्योगिकीविद,
 - (vii) हौजरी प्रोद्योगिकीविद,
 - (viii) खाद्य प्रोद्योगिकीविद,
 - (ix) कांच और मृतिका प्रौद्योगिकीविद,
 - (x) धातु परिष्करण प्रौद्योगिकीविद
- (ट) "ग्रेड" से नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड (श्रेणी) अभिप्रेत है।
- 3. भारतीय उद्यम विकास सेवा का गठन.— (1) भारतीय उद्यम विकास सेवा के रूप में ज्ञात की जाने वाली एक सेवा का गठन किया जायेगा जिसमें नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्य होंगे।
 - (2) सेवा में 4 श्रेणीयां सम्मिलित होगी अर्थात जयेष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी), किनष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी), जयेष्ठ समय वेतनमान (एसटीएस) और किनष्ठ समय वेतनमान (जेटीएस) जिसमें सभी पदों को समूह 'क' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और पोषक श्रेणी अर्थात सहायक निदेशक श्रेणी ॥ को समूह 'ख' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जैसा कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

- 4. ग्रेड, प्राधिकृत संख्या और इसका पुनर्विलोकन— (1) सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित डयूटी पद, उनकी संख्या और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के प्रारंभ होने पर वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं:
 - (2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात विभिन्न ग्रेडों में डयूटी पदों की प्राधिकृत संख्या वह होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाये और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से सरकार समय-समय पर विभिन्न ग्रेडों में डयूटी पदों की स्वीकृत संख्या में ऐसे परिवर्तन कर सकती है जो आवश्यक समझे जाएं।
 - (3) सरकार, आयोग से परामर्श करके, समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, सेवा में ऐसे अन्य पदों (पहली अनुसूची में दिये पदों के अलावा) को सम्मिलित कर सकेगी जो पहली अनुसूची में सम्मिलित पदों से प्रतिष्ठा, वेतन स्तर और पेशेवर संदर्भ में समतुल्य हो या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।
 - (4) सरकार, आयोग से परामर्श करके, समय-समय पर ऐसे किसी अधिकारी को, जिसका पद उपनियम (3) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, किसी अस्थायी हैसियत में या किसी अधिष्ठायी हैसियत में, जैसा वह ठीक समझे, सेवा की समुचित श्रेणी में नियुक्त कर सकेगी बशर्ते कि अधिकारी सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखता हो और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार उस सदृश श्रेणी में उसकी वरिष्ठता नियत कर सकेगी।
- 5. सेवा के सदस्य.-(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात:
 - (क) ऐसे व्यक्ति जिन्हे नियम 6 के अधीन डयूटी पदों पर नियुक्त किया गया है: और
 - (ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 4 के उपनियम (4) और नियम 7 के अधीन डयूटी पदों पर नियुक्त किया गया है।
 - (2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी नियुक्ति पर, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट तत्समान श्रेणी, जो उस पर लागू हो, में सेवा का सदस्य समझा जायेगा।
 - (3) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति उक्त नियुक्ति की तारीख से पहली अनुसूची में निर्दिष्ट तत्समान श्रेणी, जो उस पर लागू हो, इन नियमों के अंतर्गत सेवा का सदस्य होगा।
- 6. सेवा का प्रारंभिक गठन:- इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभिन्न ग्रेडों में समूह ''क" एवं ''ख'' में नियमित आधार पर अथवा धारणाधिकार (लियन) आधार पर पद धारण करने वाले सभी विद्यमान विभागीय अभ्यर्थियों, जोकि छठी अनुसूची में दिए गए भर्ती नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किए गए हैं, को तत्समान ड्यूटी पदों पर और यथास्थिति, किसी अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में सेवा के ग्रेड में नियुक्त किया गया माना जाएगा।
- 7. सेवा का भावी अनुरक्षण.- इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी ग्रेड में किसी रिक्ति को निम्नलिखित रीति में भरा जाएगा :-
 - (क) सेवा के विभिन्न ग्रेडों के लिए नियुक्तियां, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति के क्षेत्र, अगले निम्नतर ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा और यथास्थिति प्रोन्नति पर नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिए अन्य पात्रता शर्तों के अनुसार की जाएंगी ।
 - (ख) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन तीसरी अनुसूची के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर किया जाएगा ।
 - (ग) सेवा के किनष्ठ वेतनमान (सहायक निदेशक ग्रेड-I) और सहायक निदेशक (ग्रेड -II) में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु-सीमा वह होगी जो क्रमश: चतुर्थ अनुसूची और पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

8. परिवीक्षा.- (1) सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा सेवा के किनष्ठ वेतनमान (सहायक निदेशक ग्रेड-1) और पोषक श्रेणी (सहायक निदेशक ग्रेड-2) में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा:

परंतु नियंत्रण प्राधिकारी सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और की परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का विनिश्चय साधारणतया परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति के पश्चात आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित कर दिया जाएगा।

- (2) परिवीक्षा या उसकी बढ़ाई गई कोई अवधि पूरा करने पर किसी अधिकारी को, यदि उसे स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति में प्रतिधारित किया जाएगा और सम्यक अनुक्रम में उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्ति जिस पद पर भर्ती के लिए अधिकारी की आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी पर उसकी पृष्टि कर दी जाएगी।
- (3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थाई नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार उसके कोई कारण बताए बिना –
 - (क) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था, तो उसे उस पद पर सेवा से उन्मुक्त किया जाये।
 - (ख) यदि वह प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था, तो उसे प्रोन्नति के ठीक पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित किया जाये ।
- (4) परिवीक्षा या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान अधिकारी से ऐसे प्रशिक्षण पाठयक्रम और अनुदेश प्राप्त करने तथा ऐसी परीक्षाएं और प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो सरकार परिवीक्षा के समाधान-प्रद रूप में पूरा करने की शर्त के रूप में आवश्यक समझे।
- (5) उपनियम (1) से (4) के अधीन सेवा के सदस्यों की परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामले इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों से शासित होंगे।
- 9. वरिष्ठता.- (1) नियम 6 के अधीन सेवा के आरंभिक गठन पर पहली अनुसूची में वर्णित विभिन्न ग्रेडों में नियुक्त अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता का अवधारण, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी सामान्य अनुदेशों द्वारा किया जाएगा।
 - (2) सेवा के आरंभिक गठन के पश्चात सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों और अनुदेशों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।
 - (3) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की वरीष्ठता इन नियमों में उपबंधित रीति में नियत की जाएगी।
 - (4) ऐसे अधिकारियों की वरीष्ठता जो इस नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, सरकार द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाओं पर लागू सामान्य आदेशों और अनुदेशों के अनुसार आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।
 - (5) यदि इन नियमों के अधीन वरिष्ठता निर्धारण किये जाने में कोई कठिनाई या विसंगति पैदा हो जाती है तो उसका अवधारण सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।
- 10. सेवा में नियुक्ति.- सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सभी पदों के लिए सेवा की सभी नियुक्तियां नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।
- 11. भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए दायित्व और अन्य शर्तें.— (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के दायित्वाधीन होगा।

(2) ऐसे मामलों के संबंध में जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वह होंगी, जो साधारणतया समय-समय पर केंद्रीय सिविल-सेवा के अधिकारियों को लागू होती है।

12. निरर्हताएं.- वह व्यक्ति:-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है: या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
 - परन्तु यदि सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- 13. शिथिल करने की शक्ति.–जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 14. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- 15. अविशष्ट मामले. ऐसे मामलों की बाबत जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों से शासित होंगे जो साधारणतया केंद्रीय सिविल सेवाओं या समतुल्य पदों पर लागू होते हैं।
- **16. निर्वचन.** यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न पैदा होता है तो वह सरकार को निदेशित किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।

17. निरसन एवं व्यावृत्ति:-

- (1) भारतीय उद्यम विकास सेवा नियमावली, 2019 की अधिसूचना के साथ ही, छठी अनुसूची में उल्लिखित वर्तमान भर्ती नियम निरस्त हो जाएंगे।
- (2) ऐसे निरसन के बावजूद, छठी अनुसूची में उल्लिखित संगत नियमों के अंतर्गत, जिन्हें नियम 17 के उपनियम (1) के अंतर्गत निरस्त किया गया है, पूर्व में की गई नियुक्ति अथवा किया गया कोई कार्य अथवा की गई किसी कार्रवाई को इन नियमों के अंतर्गत वैध रूप से किया माना जाएगा।

पहली अनुसूची

[नियम 2 (इ.).(ञ).(ट):4(1).(3):5(2).(3):7 और 9 (1) देखें]

भारतीय उद्यम विकास सेवा के विभिन्न श्रेणियों में शामिल किए गए ड्यूटी पदों के नाम, संख्या और वेतन मैट्रिक्स स्तर

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी में शामिल ड्यूटी	ड्यूटी पदों की	वेतन मैट्रिक्स स्तर (सातवें
		पदों के नाम	संख्या	वेतन आयोग के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	अपर विकास आयुक्त	6	स्तर-14
				(रु.1,44,200-2,18,200)
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	निदेशक	36	स्तर -13
				(रु. 1,23,100-2,15,900)

3.	ज्येष्ठ समय वेतनमान	संयुक्त निदेशक	80	स्तर -12
				(रु. 78,800-2,09,200)
4.	ज्येष्ठ समय वेतनमान	उप निदेशक	140	स्तर -11
				(रु.67,700-2,08,700)
5.	कनिष्ठ समय वेतनमान	सहायक निदेशक श्रेणी -।	180	स्तर -10
				(रु.56,100-1,77,500)
6.	पोषक श्रेणी (समूह-ख)	सहायक निदेशक श्रेणी -।।	155	स्तर -7
				(रु.44,900-1,42,400)
7.	पोषक श्रेणी (समूह-ख)	अन्वेषक	20*	स्तर -6
				(रु. 35,400-1,12,400)

^{*}इस श्रेणी में कोई नई भर्ती नहीं होगी।

द्वितीय अनुसूची

[नियम 7(क) देखिए]

भारतीय उद्यम विकास सेवा के विभिन्न ग्रेड़ों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर, यथास्थिति प्रोन्नति द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र, अगले निम्नतर श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा और अन्य पात्रता शर्तें:

क्र.सं.	श्रेणी /पद का नाम वेतन मैट्रिक्स स्तर	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक
			सेवा
1	2	3	4
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अपर विकास आयुक्त	प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 में निदेशक, जिन्होंने
	स्तर -14 (1,44,200-2,18,200 रु.)		श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी निदेशक स्तर- 13	प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में संयुक्त निदेशक,
	(1,23,100- 2,15,900 रु)		जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की
			हो और विभाग द्वारा विहित किए गए अनुसार
			क्षेत्र में 2 सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण
			किया हो।
3.	ज्येष्ठ समय वेतनमान संयुक्त निदेशक स्तर -	प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में उप निदेशक, जिन्होंने
	12 (78,800-2,09,200 रु.)		श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और
			विभाग द्वारा विहित किए गए अनुसार क्षेत्र में 2
			सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।
4.	ज्येष्ठ समय वेतनमान उप निदेशक स्तर-11	प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में सहायक निदेशक,
	(67,700-2,08,700 रु.)		जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की
			हो और विभाग द्वारा विहित किए गए अनुसार
			क्षेत्र में 2 सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण
			किया हो।
5.	कनिष्ठ समय वेतनमान सहायक निदेशक	(i) 50 प्रतिशत	(i) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से सीधी
	श्रेणी -1, स्तर -10 (56,100-1,77,500 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	भर्ती की जाएगी।
		(ii) 50 प्रतिशत	(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में सहायक निदेशक
		सीधी भर्ती द्वारा	श्रेणी -॥, जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित
			सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित किए गए
			अनुसार क्षेत्र में 2 सप्ताहों का प्रशिक्षण
			सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

6.	पोषक श्रेणी सहायक निदेशक श्रेणी -।।	प्रोन्नति द्वारा जिसके	(i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में अन्वेषक, जिन्होंने
	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रु.)	न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित किए गए अनुसार क्षेत्र में 2
			सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। (ii) पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से सीधी
			भर्ती की जाएगी।

टिप्पण:

- (1) विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।
- (2) जहां अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके किनष्ठों पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाता हो, वहां उनके ज्येष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उनकी अपेक्षित अथवा पात्रता सेवा की अविध ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा की आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, हो और उन्होंने अपने किनष्ठों के साथ, जो ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके हों, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हों।
- (3) किनष्ठ समय वेतनमान स्तर पर प्रोन्नति द्वारा सेवा में प्रवेश के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पोषक श्रेणी के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को पदों पर होंगे।

टिप्पण: सभी पदस्थ अन्वेषकों (स्तर-6) की सहायक निदेशक श्रेणी -II (स्तर-7) के पोषक श्रेणी में प्रोन्नित के बाद सहायक निदेशक श्रेणी-II (स्तर-7) के पोषक श्रेणी में 100 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी।

तीसरी अनुसूची

[नियम 2 (घ): 7(ख)]

भारतीय उद्यम विकास सेवा के विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति या पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी के लिए विभागीय समिति (प्रोन्नति के लिए)		श्रेणी के लिए विभागीय प्रोन्नति
		की संरचना		समिति (पुष्टिकरण के लिए) की
				संरचना
1	2	3		4
•	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-अध्यक्ष	लागू नहीं होता
	(वेतन मैट्रिक्स स्तर-	2. सचिव (एमएसएमई)	- सदस्य	
	14)	3. अपर सचिव और विकास आयुक्त		
		(एमएसएमई)	- सदस्य	
•	क्निष्ठ प्रशासनिक	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष	लागू नहीं होता
	श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स	2. अपर सचिव और विकास आयुक्त		
	स्तर -13)	(एमएसएमई)	- सदस्य	
		3. अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त		
		(एमएसएमई) का कार्यालय	- सदस्य	
•	ज्येष्ठ समय वेतनमान	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष	लागू नहीं होता
	(वेतन मैट्रिक्स स्तर -	2. अपर सचिव और विकास आयुक्त		
	12)	(एमएसएमई)	- सदस्य	
		3. अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त		
		(एमएसएमई) का कार्यालय	- सदस्य	

	ज्येष्ठ समय वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स स्तर-11) कनिष्ठ समय वेतनमान	1. अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त	लागू नहीं होता 1. भारतीय उद्यम विकास सेवा
	(वेतन मैट्रिक्स स्तर-10)	अध्यक्षासदस्य, सव लाक सवा आयाग -अध्यक्ष 2. अपर विकास आयुक्त (प्रशा.)/ संयुक्त विकास आयुक्त, प्रशासन प्रभारी, विकास आयुक्त (एमएसएमई)का कार्यालय -सदस्य 3. उप सचिव/निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय - सदस्य	संवर्ग का किनष्ठ प्रशासिनक श्रेणी का अधिकारी - अध्यक्ष 2. भारतीय उद्यम विकास सेवा संवर्ग का ज्येष्ठ समय वेतनमान का अधिकारी - सदस्य 3. उप सचिव/निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय -सदस्य
•	फीडर श्रेणी (सहायक निदेशक श्रेणी -II) (वेतन मैट्रिक्स स्तर -7)	1. उप सचिव/निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई)का कार्यालय -अध्यक्ष 2. अवर सचिव, विकास आयुक्त(एमएसएमई) का	1. भारतीय उद्यम विकास सेवा संवर्ग का किनष्ठ प्रशासनिक श्रेणी का अधिकारी - अध्यक्ष 2. भारतीय उद्यम विकास सेवा संवर्ग का ज्येष्ठ समय वेतनमान का अधिकारी - सदस्य 3. उप सचिव/निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय -सदस्य

टिप्पण:- कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अन्वेषक पद के लिए कोई नई भर्ती नहीं होगी। अन्वेषक पद तब तक रहेगा जब तक कि सभी अन्वेषकों का समायोजन नहीं हो जाता।

चतुर्थ अनुसूची

[नियम संख्या 7 (ग) देखे]

भारतीय उद्यम विकास सेवा के कनिष्ठ वेतनमान श्रेणी (सहायक निदेशक श्रेणी- ।) में सीधी भर्ती की पद्धति:

(क) यांत्रिकी अथवा वैद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक के लिए:

इंजीनियरी सेवा समूह 'क' पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा नियमों के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा द्वारा ;

(ख) रसायन अथवा धातुकर्म (धात्विक) अथवा चर्म एवं पादुका अथवा हौजरी अथवा खाद्य अथवा कांच एवं मृत्तिका अथवा धातु परिष्करण के लिए;

निम्नलिखित आयु तथा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन द्वारा भर्ती:

(i) आयु सीमा: चयन के माध्यम से नियुक्ति के लिए अभ्यार्थी की आयु तीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलीय है)

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित किए जाने के लिए अंतिम तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(ii) शैक्षिक अर्हताएं:

अभ्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता निम्नलिखित है:

अध्ययन विषय/ट्रेड का	आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं
नाम	
रसायन	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या औद्योगिक रसायन में मास्टर डिग्री, या रसायन प्रौद्योगिकी अथवा रसायन अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री

होजरी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वस्त्र-प्रौद्योगिकी अथवा होजरी प्रौद्योगिकी अथवा
	बुनाई-प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री
धातु परिष्करण	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन अथवा औद्योगिकी रसायन में मास्टर डिग्री या
	रसायन प्रौद्योगिकी अथवा रसायन अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री
धात्विक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से धातुकार्मिक अभियांत्रिकी में अथवा धातुकार्मिक
	अभियांत्रिकी तथा द्रव्य विज्ञान में अथवा धातुकार्मिक तथा द्रव्य अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री
खाद्य	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी से बी-टेक अथवा फल-प्रौद्योगिकी में
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा
कांच एवं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कांच एवं मृत्तिका प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री
मृत्तिका	
चर्म एवं पादुका	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चर्म प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री

पांचवी अनुसूची

[देखें नियम 7 (ग)]

भारतीय उद्यम विकास सेवा के पोषक ग्रेड (सहायक निदेशक ग्रेड-।।) में सीधी भर्ती की पद्धति :

(क) यांत्रिकी अथवा वैद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक के लिए:

इंजीनियरी सेवा समूह 'ख' पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा नियमों के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा द्वारा :

(ख) रसायन अथवा धातुकर्म (धात्विक) अथवा चर्म एवं पादुका अथवा होजरी अथवा खाद्य अथवा कांच एवं मृत्तिका अथवा धातु परिष्करण के लिए;

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित आयु एवं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के अनुसार चयन द्वारा भर्ती की जाएगी :

(i) आयु सीमा: चयन द्वारा भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु तीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलीय है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(ii) शैक्षणिक अर्हताएं:

अभ्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता निम्नलिखित है:

अध्ययन विषय/ट्रेड का नाम	आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं
रसायन	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या औद्योगिक रसायन में मास्टर डिग्री, या
	रसायन प्रौद्योगिकी अथवा रसायन अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री
होजरी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वस्त्र-प्रौद्योगिकी अथवा होजरी प्रौद्योगिकी अथवा
	बुनाई-प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री
धातु परिष्करण	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन अथवा औद्योगिकी रसायन में मास्टर डिग्री या रसायन प्रौद्योगिकी अथवा रसायन इंजीनियरी में स्नातक डिग्री
धात्विक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से धातुकार्मिक इंजीनियरी में अथवा धातुकार्मिक
	इंजीनियरी तथा द्रव्य विज्ञान में अथवा धातुकार्मिक तथा द्रव्य इंजीनियरी में स्नातक डिग्री
खाद्य	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी में बी-टेक अथवा फल-प्रौद्योगिकी में
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा

कांच एवं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कांच एवं मृत्तिका प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री
मृत्तिका	-
चर्म एवं पादुका	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चर्म प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री

छठी अनुसूची

[(देखें (नियम 2 (ग)]

- I. लघु उद्योग संगठन (समूह 'क' एवं समूह 'ख') (राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1962
- II. लघु उद्योग विकास संगठन (तकनीकी प्रचार प्रभाग-समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1977
- III. उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन समूह 'क' एवं समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1996
- IV. उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन समूह 'क' एवं समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची का क्रम संख्या 5 एवं 6
- V. अन्वेषक (लघु उद्योग विकास संगठन) भर्ती नियम, 2000
- VI. लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन, उपनिदेशक (रसायन) भर्ती नियम, 2002
- VII. लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2004
- VIII. लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन, (समूह 'क') (रसायन विषय) पद भर्ती नियम, 2006
 - IX. लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन, (काँच एवं मृत्तिका शाखा)समूह 'क' भर्ती नियम 2006
 - X. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)का कार्यालय, समूह 'क' राजपत्रित पद (इलेक्ट्रानिक एवं वैद्युत विषय) भर्ती नियम, 2008
 - XI. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय, समूह 'क' (होजरी शाखा) भर्ती नियम, 2008
- XII. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय, समूह 'क' पद (यांत्रिकी अथवा धात्विकी विषय) भर्ती नियम, 2008
- XIII. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय, समूह 'क' पद (धात् परिष्करण, शाखा) भर्ती नियम, 2009
- XIV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय, समूह 'क' पद (यांत्रिकी अथवा धात्विकी विषय) भर्ती नियम, 2012
- XV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय, समूह 'क' राजपत्रित पद (इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत शाखा) भर्ती नियम,2012

[फा. सं. 18(3)/1/2011/एमएसएमई-पोलिसी भाग II] शान्तनु मित्र, अपर विकास आयुक्त (प्रशा.)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2019

G.S.R. 536(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules, namely:-

- 1. **Short title and commencement.**–(1)These rules may be called the Indian Enterprise Development Service Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

- **2. Definition.** In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
 - **(b)** "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Office of Development Commissioner (MSME);
 - (c) "Departmental candidates" means the officers appointed under these rules and officers appointed under the rules specified in Sixth Schedule;
 - (d) "Departmental Promotion or Confirmation Committee" means a Committee as specified in the Third Schedule for considering promotion or confirmation respectively;
 - (e) "Duty post" means any post included in the First Schedule;
 - (f) "Government" means the Central Government;
 - (g) "Examination" means;
 - (i) in so far as it relates to the posts of engineers (Electrical or Mechanical or Electronics), the combined competitive examination to be held by the Commission for recruitment to the Engineering Services Group 'A' and Group 'B' and;
 - (ii) recruitment by selection in so far as it relates to the posts of engineers (Chemical or Metallurgical or Leather and Footwear or Hosiery or Food or Glass and Ceramic or Metal Finishing), by direct recruitment by the Commission.
 - (h) "Regular service" in relation to any Grade means, the period or periods of service in that Grade rendered after appointment;
 - (i) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
 - (j) "Service" means the Indian Enterprise Development Service constituted for technical officers of Office of Development Commissioner(MSME) Ministry of MSME, under rule 3 and consists of the posts or grades or time-scales mentioned in First Schedule annexed to these rules and comprises of the following categories of officers, namely:-
 - (i) Mechanical Engineers,
 - (ii) Electrical Engineers,
 - (iii) Electronics Engineers,
 - (iv) Chemical Engineers,
 - (v) Metallurgical Engineers,
 - (vi) Leather and Footwear Technologists,
 - (vii) Hosiery Technologists,
 - (viii) Food Technologists,
 - (ix) Glass and Ceramic Technologists,
 - (x) Metal Finishing Technologists,
 - (k) "Grade" means a grade to the service as per rule 3.
 - **3. Constitution of Indian Enterprise Development Service.** (1) There shall be constituted a Service to be known as the Indian Enterprise Development Service consisting of members specified in rule 5.
 - (2) The service shall comprise of four grades namely Senior Administrative Grade (SAG), Junior Administrative Grade (JAG), Senior Time Scale (STS) and Junior Time Scale (JTS) in which all posts shall be classified as Group 'A' and feeder grade namely, Assistant Director-II which shall be classified as Group 'B', as specified in the First Schedule.
 - **4. Grades, authorised strength and its review.**—(1) The duty posts included in the various Grades of the Service, their number and the pay level in the pay matrix on the commencement of these rules, shall be as specified in the First Schedule:
 - (2) After the commencement of these rules, the authorized strength of the duty posts in various Grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government and the Government may from time to time,

make such alteration in the sanctioned strength of duty posts in various grades as it thinks necessary through the established procedure in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time-to-time.

- (3) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service such other posts (other than those in First Schedule) as may be deemed to be equivalent to the posts included in the First Schedule in status, pay level, and professional context or exclude from the service a duty post included in the said Schedule through the established procedure in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time-to-time.
- (4) The Government may, from time to time and in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post whose post is included in the Service under sub-rule (3), to the appropriate Grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity as it thinks fit subject to the officer possesses minimum qualification prescribed for the service and fix his seniority in that Grade in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time to time.
- 5. Member of service.—(1) The following persons shall be the members of the Service, namely:-
 - (a) persons appointed to duty posts under rule 6; and
 - (b) persons appointed to duty posts under sub-rule (4) of rule 4 and rule 7.
 - (2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall on such appointment be deemed to be the member of the Service in the corresponding Grade, applicable to him as specified in the First Schedule.
 - (3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the corresponding Grade applicable to him as specified in the First Schedule from the date of such appointment.
- **6. Initial constitution of service.** All the existing departmental candidates specified in Sixth Schedule, holding Group 'A' and Group 'B' posts in various grades on regular basis or holding lien on such duty posts on the date of commencement of these rules shall be deemed to be appointed to the corresponding duty posts and the grade of the service in a substantive or officiating capacity, as the case may be.
- **7. Future maintenance of service.**—Any vacancy in any of the Grades referred to in the First Schedule after the commencement of these rules shall be filled in the following manner, namely:—
 - (a) appointments to various Grades of the Service shall be made in accordance with the method of recruitment, the field of promotion, the minimum qualifying service in the next lower Grade and other eligibility conditions for appointment by promotion or transfer on deputation, as the case may be, as specified in the Second Schedule.
 - (b) the selection of officers for promotion shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee in accordance with the Third Schedule;
 - (c) the educational and other qualifications, experience and age limits for appointment by direct recruitment to Junior Time Scale (Assistant Director Grade I) and Assistant Director (Grade II) of the Service shall as specified in the Fourth Schedule and Fifth Schedule respectively.
- **8. Probation.**–(1) Every officer appointed to the Service either by direct recruitment or by promotion in Junior Time Scale (Assistant Director Grade I) and Feeder Grade (Assistant Director Grade II) shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

- (2) On completion of the period of probation or any extension thereof, the officer shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy against which the officer was recommended for recruitment by the commission.
- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may without any reason being assigned,
 - (a) if he was appointed by direct recruitment, discharge him from Service in that post;
 - (b) if he was appointed by promotion, revert him to the post held by him immediately before such promotion.

- (4) During the period of probation or any extension thereof, the officer may be required to undergo such courses of training and instructions and pass such examinations and tests as the Government may consider necessary as a condition to the satisfactory completion of probation.
- (5) Subject to sub-rules (1) to (4), the other matters relating to probation of the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Government from time to time in this regard.
- **9. Seniority.**–(1) The inter-se seniority of the officers appointed to the various Grades mentioned in the First Schedule at the initial constitution of the service under rule 6 shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time.
 - (2) The seniority of the officers appointed to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time-to-time.
 - (3) The seniority of the officers appointed under sub-rule (4) of rule 4 shall be fixed in the manner provided in these rules.
 - (4) The seniority of officers not covered under these rules, shall be in accordance with the general orders or instructions applicable to the Central Civil Services and shall be determined by the Government in consultation with the Commission.
 - (5) In case the fixation of the seniority under these rules results in difficulties or anomalies, the same shall be determined by the Government in consultation with the Commission.
- **10. Appointment to service.**—All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority for all the posts in various Grades of the Service.
- 11. Liability for service in any part of India and other conditions of service.—(1) The officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.
 - (2) The conditions of service of the members of the Service, in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to the officers of the Central Civil Service in general.

12. Disqualification.-No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 13. Power to relax.—where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions to these rules with respect to any class or category of persons.
- **14. Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.
- **15. Residuary matters.**—In regard to matters not specifically covered by these rules, the members of the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to the Central Civil Services or equivalent posts in general.
- **16. Interpretation.**—If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Government who shall decide the same.
- 17. Repeal and Savings.- (1) With the notification of Indian Enterprise Development Service Rules 2019, the existing recruitment rules mentioned in the Sixth Schedule would stand repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules mentioned in the Sixth Schedule, so repealed under sub-rule (1) of rule 17 supra shall be deemed to have been validity made or taken under these rules.

FIRST SCHEDULE

[See Rules 2 (e), (j), (k); 4 (1), (3); 5 (2), (3); 7 and 9 (1)]

Name, Number and Pay Level in Pay Matrix of duty posts included in the various grades of the Indian Enterprise Development Service

Sl.No.	Grade	Name of the duty Posts included in the Grade	Number of duty posts	Pay Level in Pay Matrix (As per 7 th CPC)
1	2	3	4	5
1.	Senior Administrative Grade	Additional Development Commissioner	6	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)
2.	Junior Administrative Grade	Director	36	Level-13 (Rs.1,23,100 - 2,15,900)
3.	Senior Time Scale	Joint Director	80	Level-12 (Rs.78,800 - 2,09,200)
4.	Senior Time Scale	Deputy Director	140	Level-11 (Rs.67,700 - 2,08,700)
5.	Junior Time Scale	Assistant Director Grade I	180	Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500)
6.	Feeder Grade (Group B)	Assistant Director Grade II	155	Level-7 (Rs. 44,900 - 1,42,400)
7.	Feeder Grade (Group B)	Investigator	20*	Level-6 (Rs. 35,400 - 1,12,400)

^{*} No fresh recruitment in this grade will be made

SECOND SCHEDULE

[See Rule 7(a)]

Method of recruitment, field of promotion, minimum qualifying service in the next lower grade and other eligibility conditions for appointment of officers by promotion, as the case may be, to duty posts included in the various grades of the Indian Enterprise Development Service.

Sl. No.	Grade/ Name of Post/ Pay Matrix level	Method of Recruitment	Field of Selection and minimum qualifying service for promotion
1	2	3	4
1.	Senior Administrative Grade Additional Development Commissioner Level - 14 (Rs.1,44,200-2,18,200)	By promotion	Director in Level - 13 of the Pay Matrix with three years of regular service in the grade.
2.	Junior Administrative Grade Director Level - 13 (Rs.1,23,100-2,15,900)	By promotion	Joint Director in Level - 12 of the Pay Matrix with five years of regular service in the grade and have successfully completed 2 weeks training in the field as prescribed by the department.
3.	Senior Time Scale Joint Director Level - 12 (Rs.78,800-2,09,200)	By promotion	Deputy Director in Level - 11 of the Pay Matrix with five years of regular service in the grade and have successfully completed 2 weeks training in the field as prescribed by the department.
4.	Senior Time Scale Deputy Director Level - 11(Rs.67,700-2,08,700)	By promotion	Assistant Director Grade I in Level - 10 of the Pay Matrix with five years of regular service in the grade and have successfully completed 2 weeks training in the field as prescribed by the department.

5.	Junior Time Scale Assistant Director Grade I	(i) 50% by promotion	(i) Direct recruitment to be made in the manner specified in Fourth Schedule
	Level - 10(Rs. 56,100-1,77,500)	(ii) 50% by direct recruitment	(ii) Assistant Director Grade II in Level - 7 of the Pay Matrix with three years of regular service in the grade and have successfully completed 2 weeks training in the field as prescribed by the department.
6.	Feeder Grade Assistant Director Grade II Level - 7(Rs. 44,900-1,42,400)	Promotion failing which by direct recruitment.	 (i) Investigator in Level - 6 of the Pay Matrix with five years of regular service in the grade and have successfully completed 2 weeks training in the field as prescribed by the department. (ii) Direct recruitment to be made in the manner specified in Fifth Schedule

Note:-

- (1) The crucial date for determining the eligibility of officer for promotion to various grades will be as per the instructions issued by Department of Personnel and Training from time to time.
- (2) Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided that they are not short of requisite or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
- (3) Educational qualification prescribed for induction by promotion in to the service at the Junior Time Scale level shall not be applicable in the case of feeder grade officers in position on the date of notification of these rules.

Note: There shall be 100 % direct recruitment to the feeder grade of Assistant Director Grade II (Level - 7) after the entire incumbent Investigator (Level - 6) are promoted to the feeder grade of Assistant Director Grade II (Level - 7).

THIRD SCHEDULE

[See rule 2 (d); 7 (b)]

Composition of the Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion or confirmation to various grades of the Indian Enterprise Development Service

Sl. No.	Grade	Composition of Departmental Committee (for Promotion) to the grade	Composition of Departmental Promotion Committee (for Confirmation) to the Grade	
1	2	3	4	
1	Senior Administrative Grade (SAG) (Level - 14)	 Chairman / Member, UPSC - Chairman Secretary (MSME) - Member Additional Secretary and Development Commissioner (MSME) - Member 	Not applicable	
2	Junior Administrative Grade (JAG) (Level - 13)	 Chairman / Member, UPSC - Chairman Additional Secretary and Development Commissioner (MSME) - Member Additional Development Commissioner in Office of Development Commissioner (MSME) - Member 	Not applicable	
3	Senior Time Scale (STS) (Level - 12)	Chairman / Member, UPSC - Chairman Additional Secretary and Development Commissioner (MSME) - Member Additional Development Commissioner in Office of Development Commissioner (MSME) - Member	Not applicable	
4	Senior Time Scale (STS) (Level - 11)	Additional Development Commissioner in Office of Development Commissioner (MSME) Deputy Secretary / Director (Admn.) in Office of Development Commissioner (MSME) - Member	Not applicable	

	1			T	
		3. Deputy Secretary / Director (MSME)			
		in Office of Development Commissioner			
		(MSME)	- Member		
5	Junior Time	1. Chairman/Member, UPSC	- Chairman	1. An officer of Junior Adm	inistrative
	Scale (JTS)	2. Additional Development Comm	issioner	Grade in Indian Enterpris	se
	(Level - 10)	(Admn.) / Joint Development		Development Service	
		Commissioner in charge of Adm	nin in	Cadre	- Chairman
		Office of Development Commis	sioner	2. An officer of Senior Time	e Scale in
		(MSME)	- Member	Indian Enterprise Develo	pment
		3. Deputy Secretary /Director in C	Office of	Service Cadre	-Member
		Development Commissioner		3. Deputy Secretary /Directo	or in Office
		(MSME)	-Member	of Development Commiss	sioner
				(MSME)	-Member
6	Feeder Grade	1. Deputy Secretary / Director in Office of		1. An officer of Junior Administrative	
	(Assistant	Development Commissioner		Grade in Indian Enterprise	e
	Director	(MSME)	-Chairman	Development Service	
	Grade II)	2. Under Secretary, Office of Develo	opment	Cadre	- Chairman
	(Level - 7)	Commissioner (MSME)	-Member	2. An officer of Senior Time	Scale in
		3. Under Secretary, Office of Devel	opment	Indian Enterprise Develops	ment
		Commissioner (MSME)	-Member	Service Cadre	-Member
				3. Deputy Secretary /Director	r in Office of
		Note:- Departmental Promotion	Committee	Development Commission	ner
		(DPC) is for the consideration of p	promotion of	(MSME)	-Member
		investigators.			

Note: -Cabinet has decided that no fresh recruitment shall be made against the post of Investigator and will exist till all the Investigators are adjusted.

FOURTH SCHEDULE

[See rule 7 (c)]

Method for direct recruitment in the Junior Time Scale (Assistant Director Grade I) of the Indian Enterprise Development Service:

(a) For Mechanical or Electrical or Electronics:

By a competitive examination in accordance with examination rules published by the Union Public Service Commission for recruitment to the Engineering Services Group-A and;

(b) For Chemical or Metallurgical or Leather and Footwear or Hosiery or Food or Glass and Ceramic or Metal Finishing:

Recruitment by selection, by the Union Public Service Commission in accordance with the following age and minimum educational qualification:

(i) Age limit: A candidate for recruitment by selection must not be more than thirty years of age.

(Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Government)

Note: The Crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

(ii) Educational qualifications:

Candidates must possess the educational qualification as under:

Name of Discipline or Trade	Essential Educational Qualification	
Chemical	Master Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Bachelor Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognized University or Institute.	
Hosiery	Bachelor Degree in Textile Technology or Hosiery Technology or Knitting Technology from a recognized University or Institute.	
Metal Finishing	Master Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Bachelor Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognized University or Institute.	

Metallurgy	Bachelor Degree in Metallurgical Engineering or Metallurgical Engineering and Material Science or Metallurgical and Materials Engineering from a recognized University or Institute
Food	Bachelor of Technology in Food Technology or Post Graduate Diploma in Fruits Technology from a recognized University or Institute .
Glass and Ceramic	Bachelor Degree in Glass or Ceramics Technology from a recognized University or Institute.
Leather and Footwear	Bachelor Degree in Leather Technology from a recognized University or Institute.

FIFTH SCHEDULE

[See rule 7 (c)]

Method for direct recruitment in the Feeder Grade (Assistant Director Grade II) of the Indian Enterprise Development Service:

(a) For Mechanical or Electrical or Electronics:

By a competitive examination in accordance with Examination Rules published by the Union Public Service Commission for recruitment to the Engineering Services Group-B and;

(b) For Chemical or Metallurgical or Leather and Footwear or Hosiery or Food or Glass and Ceramic or Metal Finishing:

Recruitment by selection, by Union Public Service Commission in accordance with the following age and minimum educational qualification:

(i) Age limit: A candidate for recruitment by selection must not be more than thirty years of age.

(Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Government)

Note: The Crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

(ii) Educational qualifications:

Candidates must possess the educational qualification as under:

Name of Discipline/ Trade	Essential Educational Qualification	
Chemical	Master Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Bachelor Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognized University or Institute.	
Hosiery	Bachelor Degree in Textile Technology or Hosiery Technology or Knitting Technology from a recognized University or Institute.	
Metal Finishing	Master Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Bachelor Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognized University or Institute.	
Metallurgy	Bachelor Degree in Metallurgical Engineering or Metallurgical Engineering and Material Science or Metallurgical and Materials Engineering from a recognized University or Institute.	
Food	Bachelor of Technology in Food Technology or Post Graduate Diploma in Fruits Technology from a recognized University or Institute .	
Glass and Ceramic	Bachelor Degree in Glass or Ceramics Technology from a recognized University or Institute.	
Leather and Footwear	Bachelor Degree in Leather Technology from a recognized University or Institute.	

SIXTH SCHEDULE

[See rule 2 (c)]

- (i) The Small Scale Industries Organization (Group 'A' and Group 'B') (Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1962.
- (ii) The Small Industries Development Organisation (Technical Publicity Division Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1977.
- (iii) The Ministry of Industry, Small Industry Development Organisation Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rule, 1996.
- (iv) Serial number 5 and 6 of the Schedule of the Ministry of Industry, Small Industry Development Organisation Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2000.
- (v) The Investigators (Small Industries Development Organisation) Recruitment Rules, 2000.

- (vi) The Ministry of Small Scale Industries, Small Industry Development Organisation the Deputy Director (Chemical) Recruitment Rules, 2002.
- (vii) The Ministry of Small Scale Industries, the Small Industries Development Organisation Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2004.
- (viii) The Ministry of Small Scale Industries, Small Industry Development Organisation, (Group 'A') (Chemical Discipline) posts Recruitment Rules, 2006.
- (ix) The Ministry of Small Scale Industries, Small Industry Development Organisation, Group 'A' Posts (Glass and Ceramics Discipline) Recruitment Rules, 2006.
- (x) The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), Group 'A' Gazetted Posts (Electronics and Electrical disciplines) Recruitment Rules, 2008.
- (xi) The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), Group 'A' Posts (Hosiery Discipline) Recruitment Rules, 2008.
- (xii) The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), Group 'A' Posts (Mechanical or Metallurgy disciplines) Recruitment Rules, 2008.
- (xiii) The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), Group 'A' Posts (Metal Finishing Discipline) Recruitment Rules, 2009.
- (xiv) The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), Group 'A' Posts (Mechanical or Metallurgy disciplines) Recruitment Rules, 2012.
- (xv) The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), Group 'A' Gazetted Posts (Electronics and Electrical disciplines) Recruitment Rules, 2012.

[F. No.18(3)/1/2011/MSME- POL Pt.II]

SANTANU MITRA, Addl. Development Commissioner (Admn.)